न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्रीमती पारुदेवी पत्नि श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्रीमती तलसीबाई पुत्री श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री अर्जुन भारती पुत्र श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. श्री बलदेव भारती उर्फ बकू पुत्र श्री तेज भारती, जाति- गोस्वामी, निवासी- मगरीवाडा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 30/2020

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा, प्रत्यर्थी संख्या-3 (तीन) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या- 1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 10 नवम्बर, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 30.11.1978 व नामान्तरकरण संख्या 2363 दिनांक 25.5.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश सुराणा उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 2 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या-2 उपस्थित नही हुआ।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 13/1370 में रकबा 15 बीघा भूमि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती, जाति- गोस्वामी के खातेदारी [illegible] प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती [illegible] के बाद उनके पीछे उनकी पत्नी

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अपीलार्थी पारुदेवी व पुत्री तलसी बाई एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 जीवित उत्तराधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार के तहत पति/पिता की सम्पति में पत्नी व पुत्री का भी समान रुप से बराबर हक हिस्सा होता है एवं पत्नी व पुत्री भी प्रथम श्रेणी की वारिसदार होती हे। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पति/पिता तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष मे दायर कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अपीलार्थीगण को उनके हक हिस्से से वंचित करने की नियत से श्री तेज भारती पुत्र सुजा भारती की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का स्वयं के नाम से उत्तराधिकार का नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया। यह कि श्री तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि के संबंध में राजस्व कार्मिकों/अधिकारियों ने इनके उत्तराधिकारियों की जांच किये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत कर लिया। अपीलार्थीगण अनपढ व अंगूठा छाप महिलायें है जो अपने पुत्र व भाई के विश्वास में रही कि उनके पति/पिता तेज भारती की मृत्यु के बाद उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के साथ साथ अपीलार्थीगण का नाम भी उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया होगा, लेकिन उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के नाम से दर्ज नही करवाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने स्वयं के नाम से दर्ज करवाकर तहसीलदार, रेवदर से स्वीकृत करवा लिया, जो कानूनन गलत है। इसी तरह गलत नामान्तरकरण के आधार पर श्री तेजा भारती की खातेदारी कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को अपीलार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में कोई हक अधिकार पैदा नही होते है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 ने गलत नामान्तरकरण के आधार पर आपसी सहमति से 1/2 - 1/2 हक हिस्सा अलग कर नामान्तरकरण संख्या 2363 दिनांक 25.5.2018 को दर्ज करा दिया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को आपसी सहमति से भी अपीलार्थीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड करने का कोई अधिकार नही था, बल्कि अपीलार्थी भी मृतक खातेदार श्री तेज भारती की पत्नि व पुत्र होने से प्रत्येक का 1/4 - 1/4 हक हिस्सा कायम है एवं मौके पर काबिज है, ऐसी स्थिति में, कानूनन उक्त बंटवाड नामान्तरकरण अवैध व अशून्य है जिसके कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को कोई हक अधिकार नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 30.11.1978 व 2363 दिनांक 25.5.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के हक में पुनः नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खासरा संख्या 13/370 की कृषि भूमि बलदेव भारती के स्वतंत्र कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि है। श्री तेज भारती पुत्र सुजा भारती की मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि का नामान्तरकरण विधिक रुप से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है। तेज भारती की मृत्यु हुये 45 वर्ष से अधिक समय हो गया [illegible] को तेज भारती की मृत्यु के बाद उनकी कृषि भूमि के संबंध में दा[illegible] [illegible] नामान्तरकरण की

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। इतनी लम्बी समयावधि तक अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में कभी भी कोई कार्यवाही नही की।। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य खसरा संख्या 13 की कृषि भूमि का विभाजन वर्ष 2018 में हुआ है। खसरा संख्या 13/370 की कृषि भूमि का रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा है, जो अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि है। मौके पर अपीलार्थीगण का कभी भी कब्जा नही रहा है। यह कि प्रत्यर्थी बलदेव भारती द्वारा भूमि को श्रीमती मधु चौधरी पत्नि हिमांशु चौधरी, परभी देवी पत्नि मेघाराम, जाति- कलबी, निवासी- धनपुरा को बेचान कर दिया है एवं राजस्व रेकर्ड में अब भूमि मधु चौधरी व परभी देवी के नाम से दर्ज है। नामान्तरकरण एक समरी एवं फिसकल प्रोसेडिंग है जिसके द्वारा हक अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। अपीलार्थीगण को अपने अधिकारों का निर्धारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के तहत सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर करवाना चाहिये। अतः अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी संख्या-3 के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि यह अपील विचाराधीन रहते हुए प्रत्यर्थी द्वारा भूमि का जानबूझ कर बेचान किया गया है जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के हक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के खसरा संख्या 13/1370 रकबा 15 बीघा भूमि के खातेदार श्री तेजा पुत्र सुजा जी स्वामी, निवासी- मगरीवाडा की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, मगरीवाडा द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 314 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 30.11.1978 को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। तत्पश्चात् उक्त कृषि भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड होने पर आपसी सहमति के बंटवाड का नामान्तरकरण संख्या 2363 दर्ज हुआ, जो दिनांक 25.5.2018 को स्वीकृत हुआ। प्रकरण में तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 30.11.1978 एवं नामान्तरकरण संख्या 2363 दिनांक 25.5.2018 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.10.2020 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया। इस मियाद प्रार्थना पत्र संख्या 42/2020 में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी पारुदेवी एवं तलसीबाई जो कि मृतक खातेदार श्री ते[illegible] निवासी- मगरीवाडा की पत्नी/पुत्री है, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, [illegible] धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट प्रथम [illegible] काश्तकारी अधिनियम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:27 IST
Reason: SelfAttested

...पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

1955 की धारा 40 के अनुसार हिन्दू खातेदार के निर्वसीयत मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होते है। हैं। इस प्रकार, अपीलार्थीगण का भी अपने पति/पिता स्वर्गीय श्री तेज भारती पुत्र श्री सुजा भारती के हक हिस्से की कृषि भूमि में समान रुप से हक अधिकार है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत नामान्तरकरणों को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को मृतक खातेदार श्री तेजा पुत्र श्री सुजा स्वामी, निवासी- मगरीवाडा के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मगरीवाडा, पटवार हल्का मगरीवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 30.11.1978 एवं नामान्तरकरण संख्या 2363 दिनांक 25.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार श्री तेजा पुत्र श्री सुजा स्वामी, निवासी- मगरीवाडा के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम से पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:25:27 IST
Reason: SelfAttested